



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06052021-226861
CG-DL-E-06052021-226861

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1624]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 5, 2021/वैशाख 15, 1943

No. 1624]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 5, 2021/VAISAKHA 15, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2021

का.आ. 1751(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, जिला प्रशासनिक केंद्र, मंगन, उत्तर सिक्किम (NH310AG) के कि.मी 0 से 30सिक्किम राज्य के तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

सिक्किम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH310AG पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7

1	राजस्व अधिकारी- सह- सहायक निदेशक	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH310AG के कि.मी. 0 से 30 तक	सिक्किम	नार्थ डिस्ट्रिक्ट	<table><tr><td>चुंगथांग</td><td><table><tr><td>1</td><td>लाचेन</td></tr><tr><td>2</td><td>चुंगथांग</td></tr></table></td></tr></table>	चुंगथांग	<table><tr><td>1</td><td>लाचेन</td></tr><tr><td>2</td><td>चुंगथांग</td></tr></table>	1	लाचेन	2	चुंगथांग
चुंगथांग	<table><tr><td>1</td><td>लाचेन</td></tr><tr><td>2</td><td>चुंगथांग</td></tr></table>	1	लाचेन	2	चुंगथांग						
1	लाचेन										
2	चुंगथांग										

[फा.सं. 0761/3a1]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th May, 2021

S.O. 1751(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 0 to 30 of District Administrative Centre, Mangan, North Sikkim (NH310AG) in the State of SIKKIM.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH310AG in the State of SIKKIM.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Revenue Officer-cum-Assistant Director	0KM To 30KM	SIKKIM	NORTH DISTRICT			
					Chungthang	1	Lachen
						2	Chungthang

[F. No. 0761/3a1]

RAJESH GUPTA, Director